

**भारत निर्वाचन आयोग**  
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001**

पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खण्ड-II

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल किया जाना - तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के आयोग पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खण्ड-II की प्रति इस अनुरोध के साथ मुझे इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया जाए। दल से किए गए पत्र-व्यवहार की एक प्रति आयोग के संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

2. इसके अतिरिक्त, आपसे अनुरोध है कि अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय और परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर दाखिल, प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 जनवरी, 2013 के आयोग के पत्र सं. 76/ई ई/2012-पी पी ई एम और दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 में यथाउल्लिखित राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के संबंध में अनुदेश उसी रूप में लागू रहेंगे।

3. कृपया पावती भेजें।

भवदीय  
अविनाश कुमार  
(अविनाश कुमार)  
अवर सचिव

(राजनीतिक दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग) और एसडीआर अनुभाग को प्रतिलिपि प्रेषित।

**भारत निर्वाचन आयोग**  
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001**

पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खण्ड-II

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव

1. सभी राष्ट्रीय दल
2. सभी राज्यीय दल
3. सभी गैर मान्यता प्राप्त दल

विषय:- राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करना - तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 21 जनवरी, 2013 के पत्र सं. 76/ई ई/2012-पी पी ई एम एस और दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013(प्रतिलिपियां संलग्न) को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनीतिक दलों को विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90 दिनों के भीतर अपना "निर्वाचन व्यय विवरण" भारत निर्वाचन आयोग को (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष दाखिल करना होगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 77 के अंतर्गत जिस लेखा का कुल व्यय विवरण रखा जाएगा और जो किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन के संबंध में उपगत या अधिकृत किया जाएगा वह निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सामान्यतः राजनीतिक दल निर्वाचनों के दौरान खड़े किए गए अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय हेतु नकदी या वस्तु रूप में सहयोग/अंशदान देते हैं और अभ्यर्थियों को अपने विवरणों में ऐसा व्यय प्रदर्शित करना होगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता और लेखों के समाशोधन हेतु और संविधान के अनुच्छेद-324 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजनीतिक दलों को  
(i) आंशिक विवरण जो भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में, जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष, अनुबंध-क में नियत प्रारूप में विधान सभा/लोकसभा के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के बाद 30 दिन के भीतर दल द्वारा अभ्यर्थियों को किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में और (ii) निर्वाचन व्यय संबंधी अंतिम विवरण विधानसभा/लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90 दिनों के भीतर उपरोक्तानुसार, दलों द्वारा दाखिल किया जाना अपेक्षित है।  
3. इस बात को दोहराया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के आयोग के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 उपर्युक्त एवं संलग्न के पैरा 3(i) में यथासंदर्भित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणीकृत होना चाहिए।  
4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,  
(एस. के. रूडोला)  
सचिव

राजनीतिक दल व्यय अनुवीक्षण अनुभाग (पी पी ई एम एस) और एसडीआर अनुभाग को प्रतिलिपि प्रेषित।

## अनुबंध-क

दल का नाम:

क्या मान्यताप्राप्त है: \_\_\_\_\_ (हाँ या नहीं)

निर्वाचन का नाम:

निर्वाचन की घोषणा की तिथि:

निर्वाचन समाप्त होने की तिथि:

दल के अभ्यर्थियों या अन्य अभ्यर्थियों, यदि कोई प्राधिकृत किए गए हों पर दल द्वारा नकद रूप में या लिखत जैसे चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त उपगत भुगतान। यदि राजनैतिक दल अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसरों पर भुगतान करता है तो तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	राज्य का नाम/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	भुगतान की तारीख	नकद राशि	चेक/डी डी/पी ओ/ आर टी जी एस/निधि अंतरण इत्यादि	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
कुल योग						

दिनांक:

हस्ताक्षर (राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष)

नोट: दल के केन्द्रीय मुख्यालयों या राज्यीय इकाइयों द्वारा किए गए अधिकृत भुगतान के लिए अलग अनुलगनकों में प्रस्तुत किया जाए।

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं०: 76/ईई/2012-पीपीईएमएस

दिनांक: 21 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव  
(सभी राजनैतिक दल)

विषय:- राजनैतिक दलों द्वारा "निर्वाचन व्यय की विवरणी" फाइल करने के लिए प्रपत्र का आशोधन-विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों/लोक निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा।

महोदय,

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 'कॉमन कॉज़' बनाम भारत संघ एवं अन्य (एमआर 1996 एस सी 3081) के मामले में निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 27.12.2001, 22.03.2004 तथा 13.01.2009 के पत्र द्वारा एक फार्मा निर्धारित किया है जिसमें राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक लोक सभा/राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों द्वारा फाइल किए गए विवरण को आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है।
2. इसके अतिरिक्त मुझे यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि सुसंगत सूचना पर और सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। अतः, आयोग ने उक्त प्रपत्र में आशोधन किया है जो कि एतद्वारा संलग्न किया जा रहा है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त आशोधित प्रपत्र पार्टी-क में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाता है, पार्टी के अथवा राज्य दलों (जिलों/स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा राज्य इकाई(ईयों) पर सूचना भाग-ख में, सूचना का सार भाग 'ग' और भाग 'घ' में सत्यापन संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। व्यय के ब्यौरे प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। संशोधित प्रपत्र में बेहतर स्पष्टता तथा जिम्मेवारी के लिए साधारण पार्टी प्रचार के लिए राजनैतिक दलों के खर्च तथा अभ्यर्थियों के नामे डाले जाने वाले खर्चों का भी द्विभाजन किया गया है।

3. दलों या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत/उपगत व्ययों की संवीक्षा हेतु अपेक्षित सूचना मांगी गई है जिसके लिए उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थात् में, निर्वाचन व्ययों की अपनी विवरणी, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन फाइल की गई थी, में छूट का दावा किया था।
4. मुझे सभी राजनैतिक दलों को यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि वे 01 जनवरी, 2013 के पश्चात होने वाले सभी निर्वाचनों के लिए इस संशोधित प्रपत्र में ही "निर्वाचन व्यय का विवरण" हाई प्रति और सी डी में सॉफ्ट प्रति में फाइल करेंगे।
5. इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,  
ह/-  
(एस.के. रुडोला)  
सचिव

संलग्नक:- उपर्युक्त के अनुसार

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे राज्य में सभी राजनैतिक दलों की सूचना में लाएं,  
- सभी जिला निर्वाचन अधिकारी  
- सभी रिटर्निंग अधिकारी

